भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2430

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>मानव अधिकार प्रभाव आकलन</u>

2430. श्री दिनेश त्रिवेदी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कंपनियों के लिए मानव अधिकार प्रभाव आकलन (एचआरआईए) हेतु वर्तमान आवश्यकता कितनी है;

(ख) क्या सरकार की सभी कंपनियों के लिए एचआरआईए को अनिवार्य बनाने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरूण जेटली)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 1956/2013 में कंपनियों के लिए मानव अधिकार प्रभाव आकलन (एचआरआईए) के संबंध में कोई उपबंध शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), जो केवल किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करता है, भी भारत में कंपनियों के लिए "मानव अधिकार प्रभाव आकलन (एचआरआईए)" शीर्षक के अधीन अलग घटना संहिता या अभिलेख नहीं रखता है। मानव अधिकारों के प्रमाणित उल्लंघन के मामले में एनएचआरसी केन्द्रीय/राज्य सरकार में संबंधित प्राधिकरणों को अनुशंसाएं कर सकता है। विभिन्न राज्यों में 'बड़ी परियोजनाओं' के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण ग्रामीणों/स्थानीय लोगों के विस्थापन के मामलों में परियोजना से प्रभावित लोगों के राहत/पुनर्वास के लिए एनएचआरसी ने संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को उपयुक्त अनुशंसाएं की हैं। गृह मंत्रालय अथवा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में कंपनियों के लिए एचआरआईए को अनिवार्य बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****